राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 16/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022/101
दायर दिनांक— 27.05.2022
निर्णय दिनांक—28.11.2024

उनवानी—

1. श्रीमती जमना पत्नि स्व0 श्योकरण
2. बन्ना पुत्र मांगीलाल
3. बोदू पुत्र मांगीलाल
4. मुकेश पुत्र स्व0 श्योकरण
5. रामरतन पुत्र स्व0 श्योकरण
6. सुगना पुत्र मांगीलाल

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम त्योद तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. घासी पुत्र छीतर
2. पूसा पुत्र छीतर

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम त्योद तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

3. रामेश्वरी पुत्री छीतर जाति जाट हाल निवासी चक पींगलोद, तहसील रूपनगढ़,
4. सायर देवी पुत्री छीतर जाति जाट हाल निवासी चक पींगलोद, तहसील रूपनगढ़,
5. छीतर पुत्र गोपाल
6. श्रवण पुत्र भंवरा

अप्रार्थी संख्या 5 से 6 जाति जाट नि0 ग्राम त्योद तह0 रूपनगढ़

7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)(ख)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—उपस्थिति— 1. ध्रुव सिंह चौधरी अधि0 प्रार्थीगण
2 शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी सं. 1 व 2

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पैतृक कृषि आराजी ख0न0 689 रकबा 3.2117 है0, ख0न0 681 रकबा 0.6310 है0 भूमि वाकै ग्राम त्योद पटवार हल्का त्योद, भू—अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ग्राम त्योद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पैतृक कृषि आराजी पर पूर्वज के समय से ग्राम त्योद से ग्राम सुरसुरा जाने वाली सड़क ख0न0 678 पर चलकर ख0न0 679 की उत्तरी दिशा की सींव के सहारे—सहारे पूर्व दिशा की ओर चलकर ख0न0 682 की उत्तरी सींव के सहारे पूर्व दिशा की ओर चलकर ख0न0 683 की उत्तरी सींव के सहारे—सहारे पूर्व दिशा की ओर चलकर [illegible] आराजी ख0न0 689 व 681 की भूमि में आने—जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो जानवरों [illegible] तथा कृषि उपज खाद रोड़ी चारा आदि लाने हेतु ट्रेक्टर—ट्रोली, बैलगाड़ी आदि [illegible] किसी रूकावट के गत दिनांक 5.1.2022 तक रास्ते के रूप में उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे थे। उक्त रास्ते से ही [illegible] की वाद वर्णित आराजी पर जानवरों को लाने ले जाने व कृषि उपज आदि ले जाने हेतु रास्ते [illegible] में प्रयोग लेते आ रहे है। आज भी मौके पर रास्ता बना हुआ है। नजरी नक्शा में उक्त रास्ते को लाल रंग के जरिये दर्शाया गया है तथा मौके की फोटो व बिल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

आने–जाने हेतु सबसे लघुतम, निकटतम रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। दिनांक 5.1.2022 को प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी पर गये थे तब उक्त रास्ते से अपने घर आने लगे तो अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा धमकी दी कि यह रास्ता केवल हमारी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु है तुम्हारी कृषि आराजी पर आने जाने का रास्ता नही है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थीगण ने फाटक लगा रखा है फिर भी प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपनी कृषि आराजी पर आने जाने व कृषि काश्त करने व जुताई बुवाई करने हेतु तथा ट्रेक्टर ट्रोली से कृषि उपज लाने ले जाने हेतु काम में लेते आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख0न0 689, 681 पर आने जाने हेतु साफ इन्कार कर दिया है तो प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान की आराजी का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्याये गये रास्ते की चौड़ाई 20 फुट है। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि आराजी में वर्णित रास्ता जो कि ग्राम त्योद से सुरसुरा में जानी वाली रोड़ के बाद के ख0न0 679, 682 व 683 में होकर नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान पर 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी ख0न0 689, 681 पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने के आदेश करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 8 (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की गयी। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की कृषि आराजी ग्राम त्योद के ख0न0 679, 682 व 683 से होकर अपने खेत तक जाने हेतु रास्ता चाहा है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर अन्य विकल्प लघुतम रास्ता ग्राम त्योद के सड़क मार्ग ख0न0 678 पर चलकर ग्राम त्योद के ख0न0 1548/680 रकबा 0.0600 हैक्ट है जो सिवायचक रास्ता दर्ज है से होते हुए ग्राम त्योद के ख0न0 679 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होते हुए लम्बाई 86 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर कुल रास्ते का क्षेत्रफल 516 वर्गमीटर होगा जो लघुत्तम दूरी व सुगम रास्ता होगा। जिसे मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। प्रस्तावित लघुत्तम रास्ता जो ग्राम त्योद के ख0न0 1548/680 सिवायचक व ख0न0 679 की दक्षिणी मेड़ के सहारे की लम्बाई 516 वर्गमीटर बताई गयी है एवं उक्त रास्ता तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तावित किया गया रिपोर्ट में चाहे गये रास्ते के अन्य विकल्प के रूप में ग्राम त्योद के ख0न0 1548/680 सिवायचक से होकर ख0न0 679 की दक्षिणी मेड़ के सहारे की लम्बाई 86 मीटर(0.0516 हैक्ट0) होती है जो सबसे निकटतम व सुगम रास्ता बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा वादग्रस्त ख0न0 679 की भूमि में से अपने हिस्से का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की जिसकी नकल जमाबन्दी पेश की गयी। तत्पश्चात वकील उभयपक्षकरान की पैरोकर सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में जमीन के बदले जमीन देने हेतु सहमति जाहिर की। वकील उभयपक्ष द्वारा रास्ते के रूप में जमीन देने की सहमति दिये जाने के पश्चात अप्रार्थी की कृषि आराजी ख0न0 679 में से 0.0516 हैक्ट. भूमि रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने से इसकी पूर्ति हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 689 के पूर्व दिशा में (लगवां ख0न0 688) में से 0.0516 हैक्ट. भूमि देनी होगी। ख0न0 679 में से 0.0516 है0 भूमि रास्ते के रूप में प्रयुक्त होकर सिवायचक रास्ता ख0न0 1548/680 से होकर प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क)(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आ[illegible] ख0न0 679 में से 0.0516 है0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से [illegible] के ख0न0 679 की भूमि में से 0.0516 हैक्ट. भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश किये जाते है इसके बदले अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उतनी ही भूमि ख0न0 689 की पूर्वी दिशा में से 0.0516 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ख0न0 679 में से 0.0516 है0 भूमि गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये सहमति प्रार्थना–पत्र में दर्शित नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग होगा।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:30 IST
Reason: SelfAttested